कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक : एफ–37(3)/जोविप्रा/नि.आ. /2017/2204 दिनांक : 11/10/17

आम सूचना

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट याचिका 1554/04 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 12.01.17 को दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के उन सभी भू स्वामी / भवन निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि

I. जिनके भवन मानचित्र अनुमोदित है उसमें जो भी अनुमोदन से भिन्न अनाधिकृत निर्माण है एवं जो क्षेत्र पार्किंग हेतु अनुमोदित है और भू स्वामी / भवन निर्माताओं द्वारा उस क्षेत्र में पार्किंग से ईतर निर्माण कर लिया है उन्हें इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को आवश्यक रूप से 15 दिवस में हटा ले अन्यथा उसके पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही की जावेगी जिसका हर्जा खर्चा भू स्वामी / भवन निर्माताओं द्वारा वहन किया जावेगा।

II. इसके साथ ही यदि किसी भू–स्वामी द्वारा बिना अनुमति निर्माण किया गया है, तो इस आम सूचना के प्रकाशन के बाद 15 दिन के भीतर, विधित रूप से प्राधिकरण कार्यालय से अनुमति हेतु अपना आवेदन मौके के मानचित्र के साथ प्रस्तुत करे। चूंकि उक्त अवधि में आवेदन नहीं किया जायेगा तो ऐसे भू स्वामी भवन निर्माण से अवैध घोषित कर प्राधिकरण इसे हटाने की कार्यवाही की जावेगी जिसका हर्जा खर्चा भू स्वामी / भवन निर्माताओं द्वारा वहन किया जावेगा।

III. इस आम सूचना के माध्यम से सभी जन को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड अथवा निर्मित भवन में दुकान/मकान खरीदने से पूर्व यह जांच ले कि वह अनुमोदित है। साथ ही सभी भू स्वामी / भवन निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि बिना अनुमोदन के कोई भूखण्ड अथवा निर्मित भवन में दुकान/मकान ना ही बेचे/ ना ही विज्ञापन करे। बिना अनुमोदन के बेचेगें अथवा विज्ञापन करेगे तो उनके विरूद्व जोधपुर विकास प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

IV. राष्ट्रीय राजमार्गो पर मार्गाधिकार तथा मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौडी वृक्षारोपण पट्टी में स्थित अनाधिकृत निर्माण के संबंध में भू स्वामी / भवन निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि इस निर्माण को 15 दिवस में हटा लेवे अन्यथा उसके पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही की जावेगी जिसका हर्जा खर्चा भू स्वामी / भवन निर्माताओं द्वारा वहन किया जावेगा।

11.10.17
(अरूण पुरोहित)
सचिव
जोविप्रा, जोधपुर

क्रमांक :– 2205–11 दिनांक:– 11/10/17

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. मा. अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में सूचनार्थ।
4. उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोविप्रा जोधपुर।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।
7. पीआरओ जोविप्रा श्री मतनानी को भेजकर लेख है कि आम सूचना को प्रकाशित करवावे।

11.10.17
सचिव
जोविप्रा, जोधपुर